

FORM NO. III

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,फर्द अहकाम
(नियम-26)

2019/00110

अज अदालत

नियम

फुलवावर

जांगीबाल

बनाम

किस्म मुकदमा



53, 88, 188, 171

नं.

60

सन्

2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/19	<p>वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री..... जे.आर.एम... ने अन्तर्गत धारा...53, 88, 100 का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/ जवाबदावा दिनांक...3.1.6.19 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा</p>	
3/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। जारी जरीये खास मुख्तियार वीर बहादुर सिंह की ओर से शर्पिना पत्र पेश कर बिवेदन किया की वादीनी का प्रतिवादीगण से लोम अदाबत भी भावना से राजीनामा हो गया है। जिससे वादीनी अपना यह वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध चलाता नहीं चाहती है। जिससे वादीनी का वर्तमान वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के जरीये विद्रोप खारिज हेतु बिवेदन किया गया। वादीनी वकीलस्य व मुख्तियार वीर बहादुर सिंह को शुना गया</p>	<p> VEER BAHADUR SINGH खास मुख्तियार माला फूल मंत्र</p> <p></p>

पत्रावली का इनलोकन किया
गया। वादीनी का वाद आदि
सजीनामा हो जाने से वादीनी
वाद आदि सजीनामा लस्ती
कर शरिज किया जाता है।
पत्रावली केवल सुपर होमर
दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा